बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–04/पौ0सं0 सर्वे0/48/2014–15–359/कृ0, पटना, दिनांक–25 मार्च, 2015 ।

प्रषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन–सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय योजनान्तर्गत ''भारत वर्ष में कीट प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण'' के तहत 5 जिलों में** Rodent Pest Management **हेतु मो0 23.30 लाख रूपये (तेईस लाख तीस हजार) रूपये की लागत पर योजना के कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य के 5 जिलों में ''भारत वर्ष में कीट प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण'' के तहत Rodent Pest Management के लिए वर्ष 2014–15 में 23.30 लाख रूपये (तेईस लाख तीस हजार रूपये) की लागत पर योजना के कार्यान्वयन एवं निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. केन्द्रीय योजनान्र्तगत '' भारत वर्ष में कीट प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण'' के तहत वित्तीय वर्ष 2011–12 में मो0 23.30 लाख रूपये (तेईस लाख तीस हजार रूपये) की स्वीकृति कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पत्रांक– F.N0- 12054/3/2010-PP-I(Pt) दिनांक– 12.12.11 के द्वारा की गयी है। परन्तु वर्णित राशि का बजट उपबंध एवं स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं होने के कारण कार्यक्रम का संचालन नहीं हो पाया था।

3. वित्तीय वर्ष 2014–15 में 23.30 लाख रूपये की पुर्नवैधिकीकरण (Revalidation) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक– F.N0- 12054/03/2010-PP-I दिनांक– 17.09.14 के द्वारा किया गया है।

4. कोशी तटबंध टूटने के उपरान्त कोशी प्रमंडल के (05) पॉच जिलों यथा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णियॉ, अररिया एवं किशनगंज जिलों में चूहा के कारण फसलों में काफी आर्थिक क्षति होती है।

5. पॉच जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में चूहा से हो रहे आर्थिक क्षति रोकने हेतु चूहा के प्रबंधन करने के निमित यह योजना कार्यान्वयन की जा रही है।

6. चूहा का प्रबंधन हमेशा सामूहिक अभियान के रूप में चलाने से ही संभव हो सकता है. अतः प्रभावित क्षेत्रों में सामूहिक अभियान चलाकर इसका कार्यान्वियन किया जायगा।

7. चूहों से प्रभावित जिलों के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेंगें, एवं जिन जिलों में सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण पदस्थापित नहीं है वहॉ जिला कृषि पदाधिकारी इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन करेंगें।

8. योजना में शामिल कार्य मदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

8.1. चूहा प्रबंधन हेतु सामूहिक अभियान चलाया जायगा। चूहॉ नियंत्रण अभियान हेतु केन्द्रीय योजना के दिशा निर्देशानुसार कृषकों को चूहानाशी (Rodenticide) नहीं दिया जायगा, बल्कि प्रथम चरण में कूट चारा (Bait) तैयार करते हुए क्षेत्र में इसे प्रयोग किया जायेगा।

8.2. द्वितीय चरण में चूहा का चारा (Bait) हेतु चूहानाशी (Rodenticide) के साथ–साथ चारा तैयार करने की सामग्री एवं तेल सहित कुल @ 30/–प्रति हे0 की दर से व्यय किया जायगा। चारा तैयार करना एवं इसका प्रयोग प्रभावित क्षेत्र में कृषकों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जायगा।

8.3. चूहा प्रबंधन हेतु प्रक्षेत्र में सामूहिक अभियान के प्रचार– प्रसार हेतु कुल स्वीकृत राशि का 5% व्यय किया जायगा।

8.4. चूहा प्रबंधन हेतु प्रक्षेत्र में सामूहिक अभियान हेतु mobility के लिए कुल स्वीकृत राशि का 5% व्यय किया जायगा।

9.. योजना अन्तर्गत मदवार तथा जिलावार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरण अनुसूची–I एवं II पर संलग्न है। विशेष परिस्थिति में यदि प्रभावित क्षेत्र अधिक या कम होता है तो योजना में स्वीकृत राशि की सीमा में कार्य मदों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

10. योजना कार्यान्वियन में आवश्यकता होनें पर प्रशासी विभाग द्वारा अनुदेश में परिवर्तन किया जा सकता है।

11. कार्यक्रम के संचालन में 23.30 लाख रूपये से 16% अनुसूचित जाति एवं 1% अनुसूचित जनजाति तथा शेष समान्य वर्गो के कृषकों हेतु व्यय किया जायेगा।

12. स्वीकृत राशि का व्यय **मुख्य शीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म– लघु शीर्ष–107** – वनस्पति रक्षण तथा **उप शीर्ष– 0408** " भारत वर्ष में कीट प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण " **विपत्र कोड– S2401001070408 – विषय शीर्ष– 1301 कार्यालय व्यय** अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में उपबंधित 23.30 लाख रूपया (तेईस लाख तीस हज़ार रूपये) से विकलनीय होगा।

13. वित्त विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक– एम0 4–53/2007–96 वि0 (2) दिनांक– 03.01.08 के आलोक में प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार है। अतः संचिका को मंत्री परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक– 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. प्रस्ताव में मान्नीय कृषि मंत्री, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(प्रभु राम)
निदेशक प्रशासन–सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– /कृ0, पटना, दिनांक– मार्च, 2015 ।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी अकेक्षण, महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक प्रशासन–सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– /कृ0, पटना, दिनांक– मार्च, 2015 ।

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक प्रशासन–सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– /कृ0, पटना, दिनांक– मार्च, 2015 ।

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक प्रशासन–सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या– 359 /कृ0, पटना, दिनांक– 25 मार्च, 2015 ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/ कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, संबौर, भागलपुर/ कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/ कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, पी0 पी0 एम0, कृषि विभाग/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, बामेति, पटना/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संयुक्त निदेशक/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/ संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/ सभी उप/सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/3/15

निदेशक प्रशासन–सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–I

वर्ष 2014–15 में रोडेन्ट पेस्ट मैनेजमेंट हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रभावित प्रखण्डों की संख्या	कार्यान्वयन हेतु निर्धारित क्षेत्र (लक्ष्य हे0 में)	कूट चारा एवं कीटनाशी की कीमत @30/–रू0 प्रति हे0	मोविलिटी हेतु @ 5 %	प्रचार प्रसार हेतु @5%	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मधेपुरा	13	32786	983580.00	49179.00	49179.00	1081938.00
2	कटिहार	4	10086	302580.00	15129.00	15129.00	332838.00
3	पूर्णियॉ	4	10086	302580.00	15129.00	15129.00	332838.00
4	अररिया	4	10086	302580.00	15129.00	15129.00	332838.00
5	किशनगंज	3	7562	226860.00	11343.00	11343.00	249546.00
	कुल योग–	28	70606	2118180.00	105909.00	105909.00	2329998.00

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग,

अनुसूची– II

वर्ष 2014–15 में रोडेन्ट पेस्ट मैंनेजमेंट हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।

क्रम स0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत राशि
1	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	1081938.00
2	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया	332838.00
3	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज	332838.00
4	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्णियॉ	332838.00
5	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, कटिहार	249546.00
	कुल–	2329998.00

(तेईस लाख उन्नतीस हजार नौ सौ अनठानवें रूपये)।

23/3/15

निदेशक प्रशासन–सह– अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।